संख्या-207/2015/1397/22-4-15-48(114)/97

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 नवम्बर 2015

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बंदियों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराये जाने के निमित्त तिहाड़ में संचालित कैन्टीन व्यवस्था की भॉति प्रदेश में भी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45941/सामा-1(5)/ कैन्टीन-VOL-1/2015, दिनांक 30.10.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1071पी/22-4-97-48(114)/97, दिनांक-06 अक्टूबर, 1997 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कारागारों की कैन्टीनों में तिहाड़ जेल, नई दिल्ली की भॉति 13 खाद्य सामग्रियां यथा-आलू पराठा, पूड़ी सब्जी, ब्रेड पकौड़ा(आलू), समोसा, चाय (जो पहले से उपलब्ध कराई जा रही है), पकौड़ा (बेसन व विविध प्रकार की सब्जियों का), उबला हुआ अण्डा, दही/लस्सी (ख्याति प्राप्त फर्म का पैक्ड), जलेबी, दूध/मट्ठा (ख्याति प्राप्त फर्म का पैक्ड), पोहा, सूजी हलवा एवं छोला, भटूरा खा) सामग्रियों को कैन्टीन के माध्यम से बन्दियों को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा इस सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्वान्त मुख्यालय स्तर से समस्त कारागारों को प्रेषित किये जायेंगे।

(2) खाद्य सामग्री की शुद्वता एवं गुणवत्ता बनाये रखने तथा उसमें किसी प्रकार की मिलावट आदि की सम्भावना से बचने के लिए जिला खाद्य निरीक्षक से माह में कम से कम एक बार आकस्मिक निरीक्षण अवश्य कराया जाय तथा इसके लिए खोले गये रजिस्टर पर कैन्टीन में बनने वाली खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता रिपोर्ट/प्रमाण पत्र का अंकन कराया जायेगा।

(3) गुणवत्ता की जॉच हेतु कारगार स्तर पर भी तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जो अपनी रिपोर्ट इसके लिए खोले गये रजिस्टर में अंकित करेगी। यह रजिस्टर उच्चाधिकारियों के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) कैन्टीन में विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तथा शुद्वता एवं अभिलेखों के रख-रखाव का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक का होगा।

2- इस योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा कोई धनराशि अलग से स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3- शासनादेश दिनांक 06.10.1997 द्वारा बंदियों को प्रति सप्ताह अनुमन्य की गई कूपन की धनराशि की सीमा रू0 150/-(रूपया एक सौ पचास मात्र) से बढ़ाकर रू0 600/- (रूपया छः सौ मात्र) की जाती है।

4- कैन्टीन व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक-6 अक्टूबर, 1997 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उसमें उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in